मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,

58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

<u>अपील कमांक ए–206/रासूआ/10–3/2006/इन्दौर</u>

श्री गोपाल दास नीमा
अपीलकर्ता
आत्मज स्व. श्री पन्नालालजी नीमा,
45, केशरबाग रोड, इंदौर मध्यप्रदेश

विरूद्ध

श्री पी.सी.उपाध्याय, **लोक सूचना**
अधिकारी
कार्यालय, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण
कंपनी लिमिटेड,दक्षिण शहर संभाग– इंदौर ।

(आदेश – 29 सितंबर, 2006)

यह अपील श्री गोपालदास नीमा (अपीलकर्ता) ने लोक सूचना अधिकारी मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण शहर संभाग, इन्दौर (कम्पनी) के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 से अंसतुष्ट होकर प्रस्तुत की थी । अपीलकर्ता के अनुसार उन्होने दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन दिया था जिसमें निम्न जानकारी मांगी गई थी –

> ''हमें आपके झोन अंतर्गत और आपके बताये अनुसार कथित ''सुभाषचंद्र पेपर प्रिंटिंग'' सर्विस कमांक 183289 एवं ''पिकान इण्डस्ट्रीज'' सर्विस कमांक 581874 45, केशरबाग रोड से संबंधित मीटर रीडिंग डायरियों का सन् 2000 तक का अवलोकन करना है । ''

2. लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को यह आदेश पारित किया कि अपीलकर्ता ने जिस रिकार्ड का अवलोकन करने के लिये आवेदन दिया है, उसके संबंध में एक अपराध कमांक 526/05 दर्ज है और यह दस्तावेज इस अपराध के अन्वेषण एवं विवेचना के संबंध में पुलिस के अधिपत्य में हैं । इस आधार पर लोक

सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता के आवेदन पत्र पर कोई जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की थी ।

3. इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी । इस अपील में अपीलकर्ता ने इस बात को कहीं भी प्रतिवादित नहीं किया है कि इस विषय पर अपराध क्रमांक 526/05 दर्ज किया गया है और वह अनुसंधान में है उन्होने अपनी प्रथम अपील के पैरा 7 में यह उल्लेखित किया है –

> '' आलोच्य आदेश दिनांक 19.12.05 में प्रतिप्रार्थी ने अपीलार्थी के आवेदन में किस वैधानिक आधार प निरस्त किया है स्पष्ट नहीं है । पुलिस अनुसंधानकर्ता अधिकारी व अन्य न्यायालयों तथा अधिकरण उनके समक्ष लंबित जांच व प्रकरणों में क्या आदेश देंगे एवं वह क्या निर्धारित करेंगे, इस पर व्याख्या करने का अधिकार लोक सूचना अधिकारी को नही । ''

4. प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता के आवेदन पर दिनांक 6 फरवरी, 2006 को आदेश पारित किया और उन्होने अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि मामला माननीय न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन है इसलिये जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकती ।

5. प्रथम अपील अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तत की गई है । इस अपील प्रकरण में अपीलकर्ता ने यह कहीं भी उल्लेखित नही किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने जिस आधार पर जानकारी नही दी है, वह सही नही है । लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित रिकार्ड इस आधार पर अवलोकित कराने में असमर्थता प्रकट की गई है कि इस विषय पर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 526/05 पंजीबद्ध किया गया है और संबंधित दस्तावेज अन्वेषण एवं विवेचना के संबंध में पुलिस के अधिपत्य में हैं । अपीलकर्ता ने न तो प्रथम अपील में और न आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई व्दितीय अपील में इस बात को प्रतिवादित किया है कि इस रिकार्ड से संबंधित अपराध क्रमांक दर्ज नहीं हुआ है ।

6. अपीलकर्ता ने अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपना कंडिकावार उत्तर प्रस्तुत किया है जिस पर अपीलकर्ता ने भी अपना कंडिकावार प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है । इस विषय पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया ।

7. इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस रिकार्ड के अवलोकन के लिये अपीलकर्ता ने आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था उसके संबंध में कोई अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उस अपराधिक प्रकरण में

अन्वेषण या विवेचना जारी है । अपीलकर्ता ने न तो प्रथम अपीलीय अधिकारी और न आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील में इस बात को प्रतिवादित किया है कि इस प्रकार का कोई प्रकरण लंबित नही है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सूचना जो किसी अनुसंधान, जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन के प्रकरण में बाधक बनती है, उसे देने के लिये लोक प्राधिकारी बाध्य नही है । इस प्रकरण में लोक प्राधिकारी ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि संबंधित रिकार्ड अपराधिक प्रकरण के अनुसंधान/ विवेचना के संबंध मे पुलिस के अधिपत्य में है । ऐसी स्थिति में इस रिकार्ड को उपलब्ध कराने का सामर्थ्य लोक सूचना अधिकारी को नही है और इस आधार पर उन्होने अपीलकर्ता का आवेदन पत्र निरस्त किया है । ऐसी स्थिति में राज्य सूचना आयोग इस अपील में अपीलकर्ता की कोई सहायता नही कर सकता है । यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त